अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 8 /2014

रिज़वान अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजनवरी 01 ,2014

विषय- अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन नं0-501/2014 श्रीमती दीपा रस्तोगी बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08-01-2014 को पाया गया है कि कई बेल प्रत्यावेदनों के साथ संलग्न धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में अभिलेखित गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं ऐसे दस्तावेज जो केसडायरी से सम्बन्धित हैं, क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं पुलिस थानों से प्राप्त किये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गयी है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है क्योंकि केसडयारी एक गोपनीय रिकार्ड है और इससे सम्बन्धित दस्तावेज व चार्जशीट की प्रतिलिपि सम्बन्धित अभियुक्त को सी0आर0पी0सी0 की धारा 207, 208 के अन्तर्गत ही उपलब्ध करायी जा सकती है।

2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में 207 व 208 सीआरपीसी में निहित विधिक प्राविधान दृष्टव्य हैं:-

207. Supply to the a accused of copy of police report and other documents:

----------the Magistrate shall without delay furnish to the accused, free of cost, a copy of each of the following:

(i) the police report;
(ii) the first information report recorded under Section 154;
(iii) the statements recorded under sub-section (3) of Section 161 of all persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under sub-section (6) of Sectiion 173;
(iv) the confessions and stataements; if any, recorded under Section 164;
(v) any other document or relevant extract thereof forwarded to the Magistrate with the police report under sub-section(5)of Section 173;

208. Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session:

----------The Magistrate shall without delay furnish to the accused, free of cost, a copy of each of the following:

(i) the statements recorded under Section 200 or section 202, of all persons examined by the Magistrate;
(ii) the statements and confessions, if any, recorded under section 161, or section 164;
(iii) any documents produced before the Magistrate on which the prosecution proposes to rely;

3. उक्त तथ्यों के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक स्तर पर अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें कि किसी भी दशा में मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन न हो तथा थाने स्तर/क्षेत्राधिकारी कार्यालय व अन्य किसी भी स्तर/दशा में अभियुक्त अथवा उसके पक्षकारों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.), पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं केस डायरी से सम्बन्धित अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जायें। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त ही धारा 207, 208 सीआरपीसी में निहित उपरोक्त विधिक प्राविधानों के अनुरूप ही प्रश्नगत अभिलेख निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अभियुक्त अथवा उसके पक्षकार को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

1/2/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
3.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।